न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 07/2026

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

महावीर सिंह पुत्र छीतर सिंह जाति राजपूत निवासी बनेटी तहसील कोटपूतली।

–अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 **LR Act** 1956

निर्णय

दिनांक 15/5/26

1. तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किये जाने पर कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1201 वाके मौजा बनेटी तहसील कोटपूतली जिसके साबिक खसरा नम्बर 654 मिन वाके मौजा बनेटी तहसील कोटपूतली की आराजी राजकीय सिवायचक/भूमि है, एवं भूमि की किस्म गै0 मु0 तालाब है।
2. उपरोक्त आराजी को तत्कालिक राजस्व अधिकारी महोदय कोटपूतली के द्वारा विधि विरूद्व जाकर अप्रार्थीगण को उक्त गै0 मु0 नदी/नाला/तालाब की भूमि का आवंटन कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि को किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।
3. प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार हाल व साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन करने से हुई।
4. उपरोक्त भूमि आराजी गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब की भूमि है एवं जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नही दिये जा सकते है अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में दी गई खातेदारी कानूनन गलत हैं एवं निरस्त किये जाने योग्य हैं।
5. अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एलआर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 1201 वाके मौजा बनेटी तहसील कोटपूतली में

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक/गै0म0 नदी/नाला/तालाब किये जाने के आदेश फरमावे।

6. प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.06.2013 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स किये जाने का निर्णय लिया जाकर माननीय राजस्व मण्डल में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 25.04.2018 में आदेश दिये गये कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर वर्तमान जमाबंदी के अंकन मूलतः जिस आवंटन/नियमन आदेश से सृजित हुये हैं उक्त आदेशों की वैधानिकता का परीक्षण कर आवश्यक हो तो स्पष्ट राय के साथ नवीनतः रेफरेंस पेश करें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्रकरण प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को पूर्ति करने हेतु तहसीलदार कोटपूतली को भिजवाया गया। तहसीलदार से प्रकरण प्राप्त होने पर अप्रार्थी की रजिस्डर्ड डाक से तल्बी जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया लेकिन अप्रार्थी बावजूद रजिस्डर्ड तामील अनुपस्थित रहा इसलिए अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत कर प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

7. प्रार्थी पैरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना के समस्त बिन्दुओं को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के खाता 542 में खसरा नम्बर 1201/0.06 गैर मुमकिन चाह महावीर सिंह पुत्र श्री छीतरसिंह के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। इस खसरा नम्बर में मौके पर पाल (डोल) बनी हुई है। उक्त खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर 654 है जो खेवट जमाबंदी सम्वत 2005 के अनुसार जोहड़ दर्ज है जो अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है जबकि धारा 16 आ.टी.एक्ट के तहत नदी/तालाब/जोहड़ की भूमि को किसी खातेदार को आवंटन किया जाना अवैध है और ना ही इसका नियमन किया जाकर किसी को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अब्दुल रहमान बनाम स्ट्रेट ऑफ़ राजस्थान में अपने निर्णय में यह स्पष्ट आदेश के साथ निर्देश दिये है कि ऐसे सभी आवंटन/नियमन से या नियमन से पूर्व की भॉति पुनः राजकीय खाते में गैर मुमकिन जोहड़, नदी, नाला, तालाब दर्ज किया जावें। इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में रेफरेन्स पेश किया गया है जिसे स्वीकार किया जावें।

8. प्रार्थी सरकार पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2037 से 2056 से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 1201 वाके मौजा बनेटी जो कि साबिक खसरा नम्बर 654 से बना है। जमाबन्दी सम्वत 2037 से 2056 में आराजी खसरा नम्बर 1201 कि किस्म गै0मु0 चाह दर्ज रिकॉर्ड है तथा जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्वत 2005 अनुसार उक्त खसरा नम्बर जो कि साबिक खसरा नम्बर 654 से बना है कि किस्म जोहड़ दर्ज रिकॉर्ड है जो की कृर्षि योग्य भूमि नहीं है। धारा 16 आर. टी.

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

एक्ट के तहत गैर मु. नदी/नाले/जोहड़ आदि की भूमि में कानूनन किसी भी दीगर को आवंटन नियमन नही किया जा सकता न ही इसकी किसी दीगर को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अब्दुल रहमान बनाम स्ट्रेट ऑफ राजस्थान में आदेश दिये है कि ऐसे सभी आवंटन/नियमन व खातेदारी जो दीगर को दी गई है उसे निरस्त की जाकर भूमि पुनः आवंटन/नियमन से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। नदी, नाले कभी भी अपना रूख बदल सकते है इनके बहाल क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होने से पर्यावरण पर तो विपरीत प्रभाव पड़ता ही है इसके साथ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने तथा भारी जान माल की हानी होने का भी सदैव अन्देशा बना रहता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहससीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 1201 वाके मौजा बनेटी तहसील कोटपूतली की भूमि में अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाई जाकर पुनः भूमि राजकीय खाते मे आवंटन नियमन से पूर्व की स्थति बहाल की जावें यानि भूमि राजकीय खाते मे किस्म जोहड़ दर्ज करने एवं अप्रार्थीगण को हुये आवंटन को रदद करने की अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जावें। तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि वह ऐसे समस्त परिर्वतनों की तीन–तीन प्रतिया तैयार कर वास्ते राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 15/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़